

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

श्री श्रीमती सोनिका

सम मुकदमा धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार

प्रकरण संख्या 20/2025

कार्यवाही विवरण

-:निर्णय:-

दिनांक 13/05/25

उपस्थित: श्री नारायणसिंह चूण्डावत-अधिवक्ता प्रार्थीया  
भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर उपस्थित।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया की भूमि मौजा गुडेल पटवार हल्का गुडेल तहसील सलुम्बर में स्थित है जिसके खाता संख्या 559 आराजी नम्बर 5019 रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीया ने पूर्व में सीमा जानकारी कराई लेकिन प्रार्थीगण उससे संतुष्ट नहीं होकर निकट भविष्य में होने वाले वाद विवाद से बचने के लिये प्रार्थीया अपने खेतों का सीमांकन करा पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया के आराजीयात की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीया की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर ने बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया मौजा गुडेल पटवार हल्का गुडेल तहसील सलुम्बर खाता संख्या 559 आराजी नम्बर 5019 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि की रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीया अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

-:आदेश:-

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गुडेल पटवार हल्का गुडेल तहसील सलुम्बर के खाता संख्या 559 आराजी नम्बर 5019 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भूअभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीया से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीया की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर करे।

निर्णय आज दिनांक 13/05/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(परमजीत आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर